



2238-5/16 (237)

न्यायालय राजस्व मण्डल नं ७७ इलाहाबाद

क्र. नं. 2238-5/16 नुमा  
आदि. 6/10/16  
जिला - इलाहाबाद  
श्री राजनी वशिष्ठ इत्यादि  
21/10/16

350  
21/10/16  
शुधा आदि आवेदन  
विकार  
मोहन आदि - अनारक्षित

21.10.16

इससे आवेदन अंशगत धारा 35(2) नं ७७  
नं. 21/10/16 से दिना - 1959 के अंशगत

R.V.S.  
21/10/16

श्रीमान न्यायालय

आवेदनों की ओर से आवेदन-पत्र  
निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं -

1) यह कि निमां ७७ क्र. 2238-5/16 में आदेश  
दिनांक 6/10/16 को प्रकाश अनुपस्थित होने के  
बाद आदेश पत्रों में निरस्त किया गया है। आवेदन  
अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकाश में 18/11/16 आगामी दिनांक नोट की गयी है।  
आवेदन अधिवक्ता का नाम अनारक्षित अधिवक्ता  
के रूप में दर्शाया गया है जब आवेदन अधिवक्ता  
न्यायालय में श्रीमान के समक्ष स्वयं उपस्थित था।

2) यह कि निमां ७७ क्र. 2238-5/16 में आदेश दिनांक  
6/10/16 (नुमा) नंबर पर लिख जाकर इससे आवेदन  
पत्र स्वीकार किया जावे।

दिनांक - 21/10/16


R.V.S.  
श्रीमान न्यायालय  
श्री राजनी वशिष्ठ इत्यादि

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9207-एक/16

जिला -टीकमगढ़

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टो आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। उनके द्वारा तर्क में बताया गया है राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 2238-एक/16 में आदेश दिनांक 06.10.16 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 6.10.16 को आवेदक अधिवक्ता को अनावेदक अधिवक्ता के रूप में लेख किया गया है जबकि आवेदक अधिवक्ता उस दिन उपस्थित थी।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का रेस्टो आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्रमांक निग0 2238-एक/16 में आदेश दिनांक 6.10.16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्टो आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है।</p>	<p> सदस्य</p>

